बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
मुख्यालय, अनुश्रवण

संoसंo–लoसिंoमोo–C.M.-e-dash-07-2020- 1509 (मो0) /पटना, दिनांक–29/7/2020

प्रेषक,

ई0 रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, समस्तीपुर।

विषयः–**समस्तीपुर जिलान्तर्गत जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत् बड़ी तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः–**श्री विजय कुमार विमल से प्राप्त आवेदन संख्या–शून्य, दिनांक–22.06.2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में श्री विजय कुमार विमल, जिला–समस्तीपुर द्वारा समस्तीपुर जिलान्तर्गत ग्राम–गोदह, पंचायत–परिदह, प्रखण्ड–हसनपुर में अवस्थित बड़ी तालाब को जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत् अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रासंगिक पत्र की छाया–प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित योजना की जांच कर ली जाय। योजना का रकवा 05 एकड़ से अधिक हो तथा विभाग द्वारा कराये जाने वाली Criteria को पूरा करता है तो इसे अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की जाय तथा जल–जीवन–हरियाली अभियान में शामिल करने एवं जिला परामर्शदातृ समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु सूची जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करा दें।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
29/7/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1509 (मो0) /पटना, दिनांक–29/7/2020

प्रतिलिपि–अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, दरभंगा/मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1509 (मो0) /पटना, दिनांक–29/7/2020

प्रतिलिपि–श्री विजय कुमार विमल, ग्राम–गोदह, पंचायत–परिदह, प्रखण्ड–हसनपुर, जिला–समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

29/7/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

30/7/20

(199)

अ०प्रा० अमि० (अनु०)

लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना

24 JUN 2020

(अपर मुख्य सचिव कोषांग)

बिजय कु.विमल

विजय कु.विमल
ग्राम- गोदह
पंचायत-परिदह
प्रखंड- हसनपुर
जिला- समस्तीपुर
पिन कोड -848207

2756/ACS
24/6/20

JS
24-06-2020

3068
30-06-2020

सेवा में,
जिलाअधिकारी महोदय
समस्तीपुर।

विषय:- पत्र संख्या 281/प्र. सचिव दिनांक 11/09/ 2019 और पत्र संख्या 316/प्र. सचिव दिनांक 12/09/ 2019 प्रधान सचिव लघु जल संसाधन विभाग बिहार के द्वारा जारी किया गया जिसका विषय था <u>जल-जीवन-हरियाली योजना</u> के तहत बड़ी तालाब से अतिक्रमण हटाने के संबंध में, लागू करवाने के संबंध में।

महाशय,

मैं विजय कुमार विमल, ग्राम- गोदह, पंचायत-परिदह, प्रखंड-हसनपुर, जिला -समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। महाशय, मैंने करीब 4 वर्ष पहले अपने गाँव में अवस्थित बड़ी तालाब जो प्रधान सचिव, लघु एवं जल संसाधन विभाग बिहार के पत्र संख्या 281/प्र. सचिव दिनांक 11/09/2019 को जारी पत्र में 8वें नंबर पर अवस्थित है, को अतिक्रमणमुक्त कराने, जीर्णोद्धार के साथ साथ उसके चारों ओर पक्की सीढ़ी निर्माण, फुटपाथ के निर्माण और फुटपाथ के दोनों तरफ वृक्षारोपण कराने हेतु लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष दिनांक 01.06.2017 को आवेदन दायर किया था, जिसका नंबर 999950906011700382 है ।

लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी महोदय ने मेरे पक्ष में आदेश पारित किये और अपीलीय पदाधिकारी महोदय ने भी। इसके बावजूद भी बड़ी तालाब (पोखर) को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया।

इसके बाद मैंने महोदय के नाम एक पत्र, सभी आदेश को संलग्न करते हुए दिनांक 10-10-2018 को भेजा जो इस आवेदन के साथ अनुलग्न कर दिया हूँ, हालाँकि इस आवेदन पर क्या करवाई किया गया मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला।

इसके कुछ दिनों के बाद मैंने गांव में देखा कि पोखर के जिर्णोद्धार हेतु **जल-जीवन-हरियाली योजना** के अंतर्गत शिलान्यास का बोर्ड लगा है किंतु इस समय तक भी पोखर को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया।

इसके कुछ समय बाद पोखर से मिट्टी निकालने का काम शुरू हो चुका है जो अब भी जारी है किंतु 1 (एक) इंच भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रधान सचिव द्वारा जारी पत्र संख्या 281/प्र. सचिव दिनांक 11/09/2019 को अक्षरतः जमीन पर लागू कराया जाए और बड़ी

तालाब को पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी इससे लाभान्वित हो सके। साथ ही पोखर से सटे स्कूल का field भी है जो अभी काफी संकीर्ण है, को भी थोड़ा बड़ा कराया जाए।

प्रखर प्रश्न संग युवा विचार

मेरे गांव के पोखर का अतिक्रमण मुक्त के बिना मिट्टी निकालने का कार्य प्रारंभ होना एवं इससे जुड़े estimate का बनना मेरे जैसे कई ग्रामीण युवा के मन में कई प्रश्न उत्तपन्न कर दिया है, उम्मीद करता हूँ कि उचित कार्रवाई के द्वारा हम लोगों के मन में उठ रहे प्रश्नों का जवाब मिलेगा।

वे प्रश्न निम्न हैं:-

1. प्रधान सचिव के आदेश के बावजूद मेरे गांव के पोखर का अतिक्रमण मुक्त क्यों नहीं हो पाया?
2. बिना सही मापी के, योजना का estimate कैसे बनाई गई?
3. जब अतिक्रमणमुक्त हुआ ही नहीं फिर कार्य किस आधार पर आरंभ की गई?
4. योजना का विवरण ग्रामीणों को बिना बताए ही कार्य आरंभ किया गया, यह कहाँ तक उचित है? अगर ग्रामीण को कार्य की पूरी विवरण पता होता तो वे सही तरीके से लागू करवा पाते।

Vijay Kumar 22/06/2020

प्रतिलिपि

मुख्य सचिव, बिहार सरकार

सचिव, लघु जल संसाधन विभाग बिहार सरकार

कुल पृष्ठ संख्या- 18.

198

3

1

दिनांक - 10.10.2018.

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,

समस्तीपुर, बिहार

विषयः- संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही करते हुए मेरे द्वारा दायर वाद संख्या 999950906011700382, अनुमंडलीय लोक निवारण पदाधिकारी, रोसरा के समक्ष एवं वाद संख्या 999950906011700382/1A, प्रथम अपीलीय प्राधिकार, समस्तीपुर के समक्ष उठाए गए issues को solve करने के संबंध में।

महाशय,

मैं विजय कुमार विमल ग्राम-गोदह, पंचायत-परीदह,प्रखंड-हसनपुर,जिला-समस्तीपुर का रहने वाला हूं।

1. महाशय, मेरे गाँव में एक बहुत बड़ा तालाब है, जो गाँव के बीच में एवं स्कूल से सटे हुए अवस्थित है। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो यह तालाब बिलकुल साफ-सुथरी हुआ करती थी एवं गाँव के कुछ लोग खाना बनाने में भी इसी तालाब के पानी का उपयोग किया करते थे और हमलोग अक्सर गर्मियों के दिनों में तालाब के कंचन जल से गर्मी को मात देने की कोशिश करते रहते थे। स्कूल के परिसर में तथा तालाब के बिल्कुल सटे हुए एक विशालकाय पीपल का पेड़ है, जहां गर्मियों में बैठने से ऐसा लगता था जैसे कि शहर के कूलर से हवा आ रही है, किंतु इधर कुछ सालों से मैं देख रहा हूं कि कई लोग जो इस तालाब के किनारे बसा हुआ है धीरे-धीरे तालाब को अतिक्रमित करके उसे इतना संकीर्ण बना दिया है कि अब तालाब अपनी वास्तविक स्थिति खो चुकी है। हद तो तब हो गई जब तालाब में हर साल आने वाली पानी, जो करेह नदी के ऊपर बने बांध पर बने स्वीच गेट खुलने से आती है, के रास्ते को भी ऐसी जगह इन अतिक्रमणकारियों के द्वारा शिफ्ट करा दिया गया है कि हर साल विशालकाय पीपल के पेड़ के जड़ से मिट्टी, पानी के तेज बहाव से हट रही है जिसकी वजह से पेड़ सूखने लगी है।

2. महाशय, मैंने इस संबंध में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, रोसरा के समक्ष शिकायत दर्ज किए थे, जहां से अतिक्रमण हटाने के साथ साथ तलाब का सौंदर्यकारण करने के साथ- साथ इसके चारों और फुट-पाथ का निर्माण करने तथा इसके बगल में वृक्षारोपण करने का आदेश पारित किया गया था, हालांकि सुनवाई के दौरान संबंधित पदाधिकारी ने अगले वर्ष में काम होने की बात कही।

(198)

4

2.

अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, रोसरा के द्वारा 29.03.2017 को पारित आदेश कि छायाप्रति अनुलग्नक A में संकलित है।

3. इसके बाद महाशय मैंने एक महीना तक इंतजार किया किंतु धरातल पर कुछ भी नहीं दिखा जब मैंने सरकारी अमीन, राजस्व कर्मचारी अंचलाधिकारी एवं मनरेगा प्रोग्राम ऑफिसर से संपर्क किया तो मनरेगा ऑफिसर अगले वित्तीय वर्ष का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिए लेकिन अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी सहित अमीन का कोई जवाब नहीं आया। अंचलाधिकारी महोदय कभी भी स्पॉट पर सर्वेक्षण करने नहीं आए। जब मैंने अपर समाहर्ता महोदय के समक्ष अपील दायर किए जिसकी वाद संख्या 999509060117003827/1A है, तब राजस्व कर्मचारी एवं अमीन स्पॉट पर गए तो जरूर परंतु जानबूझकर इस मामले में मेरे परिवार को घसीटने लगा जबकि मैंने अपने आवेदन में कहीं भी अपने पिता के नाम का जिक्र तक नहीं किया था/हूँ। उनकी मंशा साफ दिख रही थी कि वह नहीं चाहते थे कि तालाब अतिक्रमण मुक्त हो, इसलिए वे अतिक्रमणकारी के नेता से मिलकर प्रमुख "पति", हसनपुर प्रखंड को बुलवाकर नापी के कार्य में बाधा उत्पन्न करवा के अपने रास्ते चलते बने, और फिर कभी नहीं आए और न हीं सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के लिये प्रमुख "पति", हसनपुर प्रखंड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराये। मैंने अपर समाहर्ता महोदय के समक्ष उस समय के कार्य प्रगति एवं उसमें आये अर्चन की सारी बात रखे किन्तु कुछ लाभ नहीं हुआ। अपर समाहर्ता महोदय ने 3 मार्च 2017 को आदेश पारित भी किए।

अपर समाहर्ता महोदय के द्वारा दिनांक 3 मार्च 2017 को वाद संख्या 999509060117003827/1A में पारित आदेश कि छायाप्रति अनुलग्नक B में संकलित है।

4. महाशय, अब मैं भी अगले वित्तीय वर्ष एवं तालाब के सौंदर्यीकरण के हेतु सूखने का इंतजार करने लगा। मुझे लगा कि अपर समाहर्ता महोदय के द्वारा पारित आदेश के बाद शायद अंचलाधिकारी महोदय के कानों पर जूं-रेंगेगी किंतु एक साल बीत जाने के बाद बावजूद भी परिणाम शून्य हैं। ऐसी स्थिति हम जैसे युवा को हतोत्साहित करता है, जो समाज एवं पर्यावरण को स्वस्थ एवं स्वच्छ रखना चाहता है।

5. महाशय, अतिक्रमणकारियों का मनोबल का आलम यह है कि जो बड़ी तालाब है, उसके पश्चिमी-उत्तरी छोर पर एक सड़क है और उससे सटी दो छोटी-छोटी तालाब थी उसे पूरी तरह अतिक्रमित कर लिया गया और बड़े ही ढीठ के साथ बोल रहे है कि किसी की हिम्मत है तो हटा कर दिखा दें। महाशय, इन दोनों छोटे-छोटे तालाब का अतिक्रमण सरकारी अमीन और राजस्व कर्मचारी के सामने हुई जब वे लोग बड़ी तालाब का नापी कार्य कर रहे थे।

6. महाशय, अब स्थिति यह हैं कि अतिक्रमणकारियों ने सड़क को भी नहीं छोड़ा हैं, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटना होती रहती हैं।

7. महाशय, इन लोगों ने स्कूल की जमीन को भी इस कदर अतिक्रमण का शिकार बनाया की आगनबाड़ी centre, पंचायत भवन सभी के सभी स्कूल परिसर में ही और ऐसी जगह बनाया गया जिसके पीछे एक बड़ा भू-भाग छोड़ दिया गया, अतिक्रमण हेतु।

8. महाशय, आपसे प्रार्थना है कि मेरे गाँव में अवस्थित बड़ी तालाब के साथ-साथ दोनों छोटे तालाब को भी अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराके उसका सौंदयकरण किया जाय और उसके चारों और फुट-पाथ निर्माण कराने के साथ साथ वृक्षारोपण कराया जाए, साथ ही स्कूल परिसर को भी पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कराने की कृपा की जाय। ताकि मेरा गाँव, ग्रीन गाँव का दर्जा प्राप्त कर सके और एक स्वच्छ, स्वस्थ एवं शिक्षित गाँव बन सके। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा।

आपका विश्वासी

Vijay Kumar Vimal

विजय कुमार विमल
ग्राम - गोदह
पंचायत - परिदह
प्रखंड - हसनपुर
जिला - समस्तीपुर
मोबाइल नं.-9431492562
Email Id.- vkv1992vimal@gmail.com

प्रतिलिपिः-

मुख्य सचिव, बिहार सरकार
सचिव, जल संसाधन विभाग बिहार सरकार
सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय बिहार सरकार
मुख्यमंत्री, बिहार सरकार
पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर।

कुल पृष्ठ संख्या - 10.

195

अनुलग्नक - A 4. 6.

अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय,अनुमंडल:-रोसरा, जिला-समस्तीपुर

अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय,रोसरा, जिला-समस्तीपुर

लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा परिवाद पर लिए गए निर्णय से संबंधित सूचना

कार्यालय/विभाग का नाम :- अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमंडल-रोसरा, जिला-समस्तीपुर

निर्गत संख्या:- 51941-02300

लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का नाम:-अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,रोसरा, जिला-समस्तीपुर

परिवादी का नाम:-Vijay Kumar Vimal

परिवाद की अनन्य पंजीयन संख्या और तिथि का सन्दर्भ:-

संख्या:- 999950906011700382 **तिथि**:- 1/6/2017 10:06:26 PM

परिवाद का विषय:- My village has a pound which is situated in middle of village and it is oldest pound : In the earliest time villager use for many work but some time ago some people encroach the pound and dumping. My suggestion is this pound which is found in village should be develop imn green valley .if govt will remove encroachment and star the planting around the pound and develop footpath so it will good initiative for govt

सुनवाई की तिथि/तिथियां:- 25/01/2017,15/02/2017,01/03/2017,15/03/2017, 29/03/2017

निर्णय:- निर्णय संलग्न है।

29/3/17

लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हस्ताक्षर

निर्णय से व्यथित परिवादी 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकेगा (प्रथम अपीलीय प्राधिकार का ब्यौरा):- **कार्यालय,अपर समाहर्ता,(प्रथम अपीलीय प्राधिकार),समस्तीपुर**

29/3/17

लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम मोहर सहित

197

7. 5.

अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय,रोसरा, जिला-समस्तीपुर

लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा परिवाद पर लिए गए निर्णय से संबंधित सूचना

कार्यालय/विभाग का नाम :- अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमंडल-रोसरा, जिला-समस्तीपुर

निर्गत संख्या:- 51941-02300

निर्णय की तिथि:- 29/03/2017

निर्णय:- प्रस्तुत परिवाद में परिवादी विजय कुमार विमल का कहना है कि उनके गाँव में एक पोखर है जिसका ग्रामीणों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है किन्तु कुछ लोगों द्वारा उस पोखर को अतिक्रमित कर लिया गया है। परिवादी का कहना है कि उक्त पोखर को विकसित किया जा सकता है और उसके चारो तरफ वृक्षारोपण कर एवं फूटपाथ बनाया जा सकता है। कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) हसनपुर ने प्रतिवेदित किया है कि पोखर पर कार्य कराने हेतु ग्राम-पंचायत परिदह के वितीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक योजना के क्रमांक 272 में लिया गया है , अभी पोखर मैंभ्पानी है , कार्य कराने पर उपयुक्त समय आने पर पोखर का सौन्दर्यीकरण कर दिया जाएगा। कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) हसनपुर द्वारा साक्ष्य स्वरुप वार्षिक योजना 2017-18 की छाया-प्रति एवं ग्राम पंचायत को कार्य कराने हेतु दिए गए निदेश की छाया-प्रति संलग्न किया गया है। उल्लेखनीय है कि अतिक्रमण के बिंदु पर अंचलाधिकारी हसनपुर को भी नोटिस निर्गत किया गया था। किन्तु इस सम्बन्ध में अंचलाधिकारी हसनपुर द्वारा अतिक्रमण के बिंदु पर कोइ प्रतिवेदन नहीं दिया जा सका। ऐसी स्थिति में उभय पक्षों को सुनने एवं परिवादी के आवेदन का अवलोकन प्रतिवेदन के अवलोकन के पश्चात 1. कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) हसनपुर को निदेश दिया जाता है कि मनरेगा के मार्गदर्शिका के अनुरूप कार्य करते हुए प्रश्नगत पोखर के सौन्दर्यीकरण/ वृक्ष रोपण का कार्य कराना सुनिचित करेंगे 2. अंचलाधिकारी हसनपुर को निदेश दिया जाता है कि जाँच कर ले कि क्या पोखर अतिक्रमित है और यदि अतिक्रमित है तो नियमानुसार कार्यवाई करते हुए शीघ्र अतिक्रमण हटवाना सुनिश्चित करें। इसी के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

29/3/17

लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम मोहर सहित

(195)

7.

8.

अपर समाहर्ता (लो० शि० नि०), जिला:-समस्तीपुर सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार का कार्यालय
लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा परिवाद पर लिए गए निर्णय से संबंधित सूचना

कार्यालय/विभाग का नाम :- अपर समाहर्ता (लो० शि० नि०), जिला:-समस्तीपुर सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार

निर्गत संख्या:- 41911-069 70

निर्णय की तिथि:- 15/07/2017

निर्णय:- अपीलार्थी ने अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकार, समस्तीपुर के आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील परिवाद दिया है। उन्होंने अपने अपील आवेदन में पोखरा के भिंडा से अतिक्रमण खाली करवाकर इसका सौंदर्यीकरण करवाने का अनुरोध किया है। लोक प्राधिकार कार्यक्रम पदाधिकारी, हसनपुर ने प्रतिवेदित किया है कि प्रखंड पोखरा के भिंडा पर बसावट है जिसके कारण पोखरा का उड़ाही नहीं किया जा सका है। पोखर का उड़ाही एवं सौंदर्यीकरण के लिए प्राक्कलन तैयार किया गया है। वृक्षारोपण का कार्य बरसात में कराने की योजना है। लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, हसनपुर ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत जमीन की मापी कार्य कराने के उपरांत अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, रोसड़ा के आदेश का अवलोकन एवं मनन किया। उनका निर्णय विधिसम्मत प्रतीत होता है जिसे बरकरार रखा जाता है। साथ -ही -साथ उक्त लोक प्राधिकारों को नियमानुसार कार्यवाही करने का भी निदेश दिया जाता है। अनुलग्नक -(i) कार्यक्रम पदाधिकारी, हसनपुर का पत्रांक -118 दिनांक -31-05-17 (ii) अंचल अधिकारी, हसनपुर का पत्रांक- 837 दिनांक – 21-06-17

प्रथम अपीलीय प्राधिकार का हस्ताक्षर

अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण)
नाम एवं मुहर सहित
लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी
समस्तीपुर (बिहार)

192

9 अनुलग्नक 'B' 6.

अपर समाहर्ता (लो० शि० नि०), जिला:-समस्तीपुर सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार का कार्यालय
प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपील पर लिए गए निर्णय से संबंधित सूचना

कार्यालय/विभाग का नाम :- अपर समाहर्ता (लो० शि० नि०), जिला:-समस्तीपुर सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार

निर्गत संख्या:- 41911-069 (+e)

लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का नाम:-अपर समाहर्ता (लो० शि० नि०), जिला:-समस्तीपुर सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार

परिवादी का नाम:-Vijay Kumar Vimal

परिवाद की अनन्य पंजीयन संख्या और तिथि का सन्दर्भ:-

संख्या:- 999950906011700382/1A **तिथि:-** 03/05/2017 12:00:00 AM

परिवाद का विषय:- प्रस्तुत परिवाद में परिवादी विजय कुमार विमल का कहना है कि उनके गाँव में एक पोखर है जिसका ग्रामीणों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है किन्तु कुछ लोगों द्वारा उक्त पोखर को अतिक्रमित कर लिया गया है | परिवादी का कहना है कि उक्त पोखर को विकसित किया जा सकता है और उसके चारो तरफ वृक्षारोपण कर एवं फूटपाथ बनाया जा सकता है | कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) हसनपुर ने प्रतिवेदित किया है कि पोखर पर कार्य कराने हेतु ग्राम-पंचायत परिदह के वितीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक योजना के क्रमांक 272 में लिया गया है , अभी पोखर में पानी है , कार्य कराने पर उपयुक्त समय आने पर पोखर का सौन्दर्यीकरण कर दिया जाएगा | कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) हसनपुर द्वारा साक्ष्य स्वरुप वार्षिक योजना 2017-18 की छाया-प्रति एवं ग्राम पंचायत को कार्य कराने हेतु दिए गए निदेश की छाया-प्रति संलग्न किया गया है | उल्लेखनीय है कि अतिक्रमण के बिंदु पर अंचलाधिकारी हसनपुर को भी नोटिस निर्गत किया गया था | किन्तु इस सम्बन्ध में अंचलाधिकारी हसनपुर द्वारा अतिक्रमण के बिंदु पर कोई प्रतिवेदन नहीं दिया जा सका | ऐसी स्थिति में उभय पक्षों को सुनने एवं परिवादी के आवेदन का अवलोकन प्रतिवेदन के अवलोकन के पश्चात 1. कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) हसनपुर को निदेश दिया जाता है कि मनरेगा के मार्गदर्शिका के अनुरूप कार्य करते हुए प्रश्नगत पोखर के सौन्दर्यीकरण/ वृक्ष रोपण का कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे 2. अंचलाधिकारी हसनपुर को निदेश दिया जाता है कि जाँच कर ले कि क्या पोखर अतिक्रमित है और यदि अतिक्रमित है तो नियमानुसार कार्यवाई करते हुए शीघ्र अतिक्रमण हटवाना सुनिश्चित करें | इसी के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है |

सुनवाई की तिथि/तिथियां:- 13/05/2017,13/05/2017,13/05/2017,13/05/2017,13/05/2017,15/07/2017

निर्णय:- निर्णय संलग्न है|

प्रथम अपीलीय प्राधिकार का हस्ताक्षर

निर्णय से व्यथित परिवादी 30 दिनों के भीतर द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकेगा (द्वितीय अपीलीय प्राधिकार का ब्यौरा):- **जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर, सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार**

प्रथम अपीलीय प्राधिकार का हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम मोहर सहित
अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण)
लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी
समस्तीपुर (बिहार)

10. 8.

महात्मा गाँधी नरेगा कार्यालय, हसनपुर (समस्तीपुर)

Mob. Mobile:- 9102011015 Email : po.has-sm-bih@nic.in

पत्रांक 118 दिनांक 31.05.2017

प्रेषक :– कार्यक्रम पदाधिकारी, हसनपुर।

सेवा में,

अपर समाहर्त्ता सह लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, महोदय समस्तीपुर।

विषय :– परिवाद की अनन्य संख्या 999950906011700382 / 1A के प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग पत्र :– ज्ञापांक 51941–02627 दिनांक 16.05.2017 के आलोक में।

महाशय,

उपरोक्त परिवाद की सुनवाई दिनांक 03.06.2017 को पूर्वाहन में नियत है। परिवादी द्वारा बतार
गये स्थल पर अतिक्रमण है। पोखर के भिण्डा पर बसावट है जिसके कारण पोखर का उड़ाही नहीं किय
जा सका है। पोखर का उड़ाही एवं सौन्दर्यीकरण के लिए प्राक्कलन बना हुआ है। वृक्षारोपण का कार्य इर
वर्षात में समग्री मद की राशि का भुगतान होने की संभावना पर किया जाएगा।

श्रीमान् से अनुरोध है कि वाद की सुनवाई में पंचायत रोजगार सेवक, परिदह को भाग लेने का अनुमति दिया जाय।

विश्वासभाजन

31.5.17

कार्यक्रम पदाधिकारी, हसनपुर।

अंचल कार्यालय हसनपुर

पत्रांक:- 837

प्रेषक :-

अंचल अधिकारी,
हसनपुर।

सेवा में,

अपर समाहर्त्ता, (लो०शि०नि०)
समस्तीपुर
–सह–
प्रथम अपीलीय प्राधिकार।

हसनपुर, दिनांक 21-6-17

विषय:- परिवाद की अनन्य संख्या– 999950906011700382 / 1A के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय ज्ञापांक–41911–05724 दिनांक–13.05.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र परिवादी विजय कुमार विमल, ग्राम–गोदह, पो०–सखवा, प्रखण्ड– हसनपुर, अनुमंडल–रोसड़ा, जिला–समस्तीपुर के आलोक में ग्राम गोदह के पोखर की मापी हेतु अंचल अमीन द्वारा राजस्व कर्मचारी की उपस्थिति में दो बार मापी का प्रयास किया गया परन्तु स्थानीय लोगों के विरोध के कारण मापी नहीं हो सकी। पुनः मापी कार्य हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–830 दिनांक– 20.06.2017 द्वारा थानाध्यक्ष, हसनपुर को मापी की निर्धारित तिथि–22.06.2017 को पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में मापी कराने हेतु अनुरोध किया गया है। मापी प्रतिवेदन प्राप्त होते ही अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुलग्नक :– पत्रांक–830 दिनांक–20.06.2017
की छायाप्रति।

विश्वासभाजन
ह० 21/6/17
अंचल अधिकारी
हसनपुर